न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 85 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/94)
पंजीयन दिनांक– 18.02.2021
निर्णय दिनांक– 27.09.2021

1. श्रीमती कमला बाई पत्नि गणपतलाल गुर्जर, निवासी नेतावल गढ़ पाछली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री नरेश कुमार पिता गणपतलाल गुर्जर, निवासी नेतावल गढ़ पाछली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री प्रेमप्रकाश पिता गणपतलाल गुर्जर, निवासी नेतावल गढ़ पाछली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री कैलाश पिता गणपतलाल गुर्जर, निवासी नेतावल गढ़ पाछली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्रीमती लीला पिता गणपतलाल गुर्जर, निवासी नेतावल गढ़ पाछली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्री राजू पिता गणपतलाल गुर्जर, निवासी नेतावल गढ़ पाछली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
7. श्रीमती सुशीला पिता गणपतलाल गुर्जर, निवासी नेतावल गढ़ पाछली, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री हर्ष जैन – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्ररकण संख्या 397 / 2014 निर्णय दिनांक 22.05.2018

निर्णय

दिनांक 27.09.2021

अपीलांट्स द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 397/2017 निर्णय दिनांक 22.05.2018 के विरूद्ध दिनांक 08.01.2019 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 18.02.2021 को अपील इस न्यायालय में दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना अंतर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नेतावल गढ़ पाछली की गत साबिक आराजी नम्बर 207/2 रकबा 5 बीघा है, जो मिसल संख्या 85 दिनांक 29.10.1972 को जरिये नामांतरण संख्या 229 से गणपतराम पिता ठाकुरिया, निवासी उदयपुर के नाम गैर खातेदारी से दर्ज हुई जिसके नवीन नम्बर 463 बने जिसमें से अपीलांट्स 1.08 हैक्टेयर भूमि पर काबिज है, परंतु राजस्व कर्मचारियों ने उक्त भूमि जमाबंदी में दर्ज नही की। उक्त लिपिकीय भूल शुद्धि करया जाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्ररकण संख्या 397/2017 निर्णय दिनांक 22.05.2018 से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22.05.2018 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:– *"हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत नामांतरकरण की नकल से गणपतराम पिता ठाकुरिया को 5 बीघा भूमि आराजी नम्बर 207/2 गैर खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित है, परंतु प्रार्थीगण की ओर 207/2 का मिला खसरा प्रस्तुत नही किया*

है, और साबिक आराजी नम्बर 207/2 का नवीन नम्बर क्या कायम हुआ यह भी प्रमाणित कराने में असफल रहे है। तहसलीदार, चित्तौड़गढ़ ने प्रार्थीगण का कब्जा किसी भी आराजीयात पर होने से इंकार किया है। प्रार्थीगण का कब्जा नही होने से एवं दस्तावेज के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रमाणित नही पाया जाने से खारिज किया जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री हर्ष जैन उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 13.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि सेटलमेंट अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही से खसरा संख्या 463 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी ने नाम राजस्व अभिलेख में संवत 2029 से 2032 की जमाबंदी में दर्ज नहीं की और रेकार्ड में राजकीय भूमि ही दर्ज रह गयी जो गलत है। जबकि उक्त इंतकाल संख्या 229 को रोटेशन की जमाबंदी में दर्ज करना चाहिए था तथा भू–प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश राजस्व रेकार्ड में नया अंकन कर दिया जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में राज्य सरकार जरिये तहसीलदार को नोटिस जारी किया जवाब हेतु दिनांक 04.09.2017 को तारीख पेशी दी गई। उसके बाद 18.10.2017, 13.11.2017, 30.01.2018, 04.04.2018, 24.04.2018 तथा 25.04.2018 उक्त दी गई सभी तारीख पेशीयों पर एक मात्र आदेशिका लिखी गई पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक को पेश हों। शिविर की जानकारी भी अपीलांट्स को नही दी गई तथा पत्रावली में भी शिविरों

में तारीख होने का अंकन नही है। अंत में दिनांक 22.05.2018 को अपीलांट व उनके अधिवक्ता को बिना सूचना दिये प्रकरण को राजस्व शिविर में रख कर अपीलांट व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थिति में बिना सुने ही आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में माना है कि गणपतराम के नाम इंतकाल से गैर खातेदारी का अंकन है, लेकिन अपीलांट ने मिलान खसरा प्रस्तुत नही किया ओर नये नम्बर क्या बने यह प्रस्तुत नही किया इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया तथा सुने बिना ही जल्दबाजी में निर्णय पारित कर दिया। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ से कब्जे की रिपोर्ट मांगी गई, जो प्रार्थीगण की उपस्थिति में नही बनाई गई। कब्जे की अवधारणा का अधिकार न्यायालय को है तहसीलदार को कब्जा होने या न होने के संबंध में कोई फाईण्डिंग देने का अधिकार नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को बिना सुने तथा उनकी अनुपस्थिति में रेस्पोडेंट तहसीलदार की कब्जे न होने की रिपोर्ट पर विश्वास कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में भूल की है। अतः साथ अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किय गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 22.05.2018 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 22.05.2018 को पारित किया है। पत्रावली को दिनांक 22.05.2018 को राजस्व लोक अदालत के कैम्प कोर्ट नेतावलगढ़ में लिया जाकर निर्णय पारित किया है। इससे पूर्व की तारीख दिनांक

25.04.2018 को पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में उनके अन्य कार्य में व्यस्त होने से दिनांक 22.05.2018 की पेशी दी गयी, जिसमें पत्रावली को लोक अदालत कैम्प कोर्ट नेतावलगढ़ में रखे जाने के निर्देश नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से पत्रावली में अपीलाण्ट को उक्त लोक अदालत कैम्प की कोई सूचना दिया जाना भी स्पष्ट नहीं है। दिनांक 22.05.2018 की आदेशिका में उभय पक्ष के उपस्थित होना वर्णित करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार विपक्षी रेस्पोंडेण्ट का कोई जबाब भी रेकर्ड पर नहीं है, न ही खण्डन का कोई तथ्य उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ इस विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर आ.नं. 207/2 का मिलान खसरा प्रस्तुत नहीं किया है और साबिक आ.नं. 207/2 का नवीन नम्बर क्या कायम हुआ, यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ ने प्रार्थीगण का कब्जा किसी भी आराजी पर होने से इंकार किया है।

उपरोक्त वर्णित करते हुए अपीलाण्ट का इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन खारिज कर दिया। प्रकरण में हम यह पाते हैं कि स्पष्टतः 22.05.2018 को आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को पूर्व में होना प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं है अतएवं अपीलाण्ट द्वारा विलम्ब से पेश की गयी अपील को मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को विधिवत् सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा प्रकरण दर्ज होने के बाद 8 पेशियों पर पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित रहे है तथा पेशी तब्दील की गयी है। नवीं पेशी दिनांक 22.05.2018 को अपीलाण्ट को सुने बिना व युक्तियुक्त रूप से अपने प्रार्थना–पत्र को प्रमाणित करने के सन्दर्भ में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना तथा बिना किसी विधिक जांच के अपीलाण्ट का आवेदन खारिज करने में प्राकृतिक न्याय के विपरीत एवं विधिक त्रुटि की है अतएवं अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है। प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देकर समुचित जांच करवाकर प्रकरण में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.11.2021 को उपस्थित हो।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त,
उदयपुर